

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या—4039 / वार—2009—140(विं) / 2008
लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद—162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके आई राज्यपाल महोदय संघर्ष “संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार विषयक निम्न गार्हिणी दर्शक रिक्षान्त निर्धारित करते हैं।

1. शार्षक— “संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार

2. उद्देश्य—

“संस्कृति विभाग, ७०३० द्वारा प्रति वर्ष एक कलाकार को सम्मानित किये जाने की योजना है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से गौरत प्राप्त किया हो तथा उत्कृष्टता के आद्याम स्थापित किये हों।

3. संख्या एवं राशि—

संत रविदास कला सम्मान, पुरस्कार प्रतिवर्ष एक कलाकार को निम्नलिखित विधाओं में प्रदान किया जायेगा।

1— शास्त्रीय संगीत की संगुण एवं निर्गुण गायन परम्परा

2— लोक संगीत के संगुण एवं निर्गुण लोक गायन परम्परा

“संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार के अन्तर्गत रुप 1.25 लाख की अनारंभिक अवधारणा एवं प्रशारित पत्र सम्मानित कलाकार को भेट रकम प्रदान किया जायगा।

4. अहंताएँ—

“संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार के अन्तर्गत विचार हेतु निम्नलिखित अहंताएँ होना आवश्यक है।

1— भारत का नामारिक होना चाहिए।

2— अपनी विधा विशेष में कुल मिलाकर न्यूनतम 20 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हो।

3— त्रिशृष्टि एवं आपवादीक परिवेष्टियों में विशिष्ट महानुभाव के लिए मातृ मुख्यमंडी जी द्वारा अहंताओं में छूट दी जा सकती है।

नोट— “नैतिक अधिसेता” विषयक अपराध के आरोपी को “संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार नहीं प्रदान किया जायेगा।

5. छल/छद्म से प्राप्त “संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार धनराशि सहित पारेत ले लिया जायेगा।

6. प्रक्रिया—

“संत रविदास कला सम्मान” पुरस्कार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से चानांकन प्राप्त किया जायेगा।

1. प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति निदेशालय, ७०३० लखनऊ द्वारा निशारित तिथि तथा देश के राष्ट्रीय/ प्रादेशिक स्तर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में

गिरिजापुन करकर निर्धारित प्रारूप पर निम्न सांस्कृतिक संस्थानों/महानुभावों से नामांकन प्राप्त किये जायेगे—

- (1) पलाकारों से सीधे नामांकन।
- (2) भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित सांस्कृतिक संसारतत्त्वासांस्थान।
- (3) भारत सरकार संस्कृत विभाग के समस्त क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र।
- (4) प्रस्तार भारती (दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र)
- (5) विश्वविद्यालयों के कला राज्य/विश्वविद्यालय से राष्ट्रबद्ध कला संस्थान।
- (6) पदम पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव।
- (7) ३०प्र० संस्कृत विभाग के विभिन्न संस्थानों/अकादमियों तथा सूचना एवं अनुसन्धान के विभाग, ७०प्र०।

प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तावित कलाकार की विशेष उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अकित किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति द्वारा ग्रन्त्येक वर्ष किसी विशेष कलाकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। परीक्षण के संपर्क आख्याचयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

७ चयन समिति

(प) 'संत रविदास कला सम्मान' पुरस्कार हेतु कलाकारों के चयन के लिए निम्नलिखित चयन समिति होगी—

- | | |
|---|------------|
| १—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| २—प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृत विभाग | सदस्य सचिव |
| ३—शास्त्रीय संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ | सदस्य |
| ४—लोक संगीत के गायन क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ | सदस्य |

(ख) चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए नानित किया जायेगा।

(ग) 'चयन' समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(घ) प्रयन संनिति की बैठकों में समिलित होने के लिए बाहर से जाये विशेषज्ञों को द्वितीय अंगी बातानुकूलित हेतु किराया देय होगा। उन्हे उसी दर से दैगिक भत्ता अनुमन्य होगा जिस दर से राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इससे सम्बन्धित व्यय प्रतिवर्ष "संत रविदास कला सम्मान" पुरस्कार हेतु व्यापिकानिय बनायी से बहन किया जायेगा।

(ङ) सदस्य सचिव हारा चयन समिति के समक्ष निदेशक, संस्कृत सिदेशालय से प्राप्त नामांकित एवं परीक्षण आख्या विद्यार्थी प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति नियन्त्रित में उल्लिखित विद्यार्थी से से सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार का नाम 'संत रविदास कला सम्मान' पुरस्कार हेतु संतुत करेगी।

(छ) चयन समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि यदि आवश्यक समझे तो ये नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं जो संनिति की दृष्टि में विद्यार योग्य हो।

(ज) नवन समिति को अनुशासा प्राप्त होने पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुसोदन से यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(झ) अध्यक्ष वयन समिति द्वारा यथा आवश्यकतानुसार पिरोड़ज़/अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

३. सम्मान समारोह

१- सत रविदास कला समाज पुरस्कार हेतु एक कलाकार को संस्कृत विभाग द्वारा निर्धारित समय पर आवश्यकतानुसार समारोह में अलंकृत किया जायेगा।

२- इसान समारोह में भाग लेने के लिए समानित कलाकारों को किराया (दिल तातानुकूलेत प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज) तथा राज्य आतिथि के रूप में अनुमत्य स्थानीय व्यवस्था की जायेगी।

३- सन्नात सनारोह हेतु बवनित बृद्ध एवं गम्भीर रूप से अस्यस्य अथवा सारीरिक रूप से अदान महानुभावों को एक अनुरक्षक साथ में लाने की अनुमति भी दी जायेगी जिसे वैसी ही सुविधाएं दी जायेगी जो सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अवनीष्ट कुमार अवनीष्ट
सचिव।

संख्या-४०७४(१)/चार-२००४ तदिनीक

द्वारा दिलिपि निन्दितिखित की रूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यदाही द्वारा प्राप्त-

१. महालेखाकार ल०प्र० इलाहाबाद।
२. चन्द्र त्रिप्ति त्रिप्ति/स्विव, ल०प्र० शासन।
३. सारत गण्डल आयुर्वत/जिला अधिकारी, ल०प्र०
४. निदेशक, संस्कृत विभाग, ल०प्र० लखनऊ।
५. निदेशक, सूचना, ल०प्र० लखनऊ।

ज्ञाज्ञा से

(दीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संत रावेदास कला सम्मान पुरस्कार
(नामांकन प्राप्ति)

03 फोटोग्राफ

1. नाम
2. प्रिता का नाम
3. निवास का पता
(दूरभाष नम्बर सहित)
4. अहंताएः
क—चार्यिक
ख—तकनीक
ग—प्रशिक्षण
ध—अनुभव
5. उपलब्धियाँ
6. ३०५० में कला में योगदान
की अवधि (प्रमाण सहित)
7. संस्कृतकर्ता की नामांकन के संदर्भ
में साक्षात् टिप्पणी

हस्ताक्षर:

नाम/पदनाम/पता साहेत

नोट— कृपया उपर्युक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में सम्यक् प्रमाणों की प्रतियों भी
उत्तराखण्ड करने का कष्ट करें। प्राप्ति में स्थान क्रम होने पर, अलंग से प्रयत्र संलग्न
करें।